कमला देवी बनाम भंवरी वगैरह (2023 / 309)

दिनांक 08.11.2023

8/11/23 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 17.10.2023 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि प्रत्यर्थीगण उक्त आदेश दिनांक 11.09.2023 की आड में विवादित सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द कर सकते है। जिससे अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मूल्यांकन संभव नहीं है। अतः अपील के निस्तारण तक अपील में वर्णित खसरा नम्बर की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत उचित आदेश पारित फरमाये जावे जो कि न्यायोचित होगा।

सर्वप्रथम अपील को मियाद के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन आदेश 11.09.2023 का है तथा अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 13.10.2023 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट के अनुसार उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में 88, 188 व 53, 209 आरटी एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायायल में अपीलांट द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने यह बताया कि विवादित भूमियों हेतु सबला पिता मोती मूल पुरूष है सबला को उक्त जमीन नियमन के माध्यम से गैर खातेदारी में प्राप्त हुई थी। सबला की विरासत में पत्नी लाडी है। पुत्र किसना, विरमा है तथा पुत्री अपीलांट है। लाडी, विरमा सबला के जीवनकाल में ही फौत हो गए थे जो नामांतरकरण से ही स्पष्ट है मगर किसना ने सबला की विरासत अकेले अपने नाम करवा ली। विवादित जमीन पर मेरे हिस्से में मैं अपीलांट खेती करती हूं तथा तारबंदी की हुई है। अपीलांट की शादी कंवलाई गावं में हुई है, किसना ने जमीन रेस्पोडेंट 2 से 4 को विक्रय कर दी है। किसना भी सन् 2016 में फौत हो गया है, रेस्पोडेंट 2 से 4 द्वारा मुझे बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इन्हें तामिल हो चुकी है मगर अधीनस्थ न्यायालय में इनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। बेदखली के विरूद्ध मैंने पुलिस कार्यवाही की है। अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक रूप से सुनवाई बाबात मैने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 11.9.2023 को खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध हम अपील लेकर आए हैं।

जमाबंदी संवत 2068–71 ग्राम होकरा खाता संख्या नया 720 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार कुल 8 खसरा नम्बर जिनका रकबा 1.7500 है0 है।

8/11/23
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कमलादेवी / भंवरी वगै० (2023/309)

लगातार......

सबला वल्द मोती कौम रावत साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर (1338, 1344,1345,1352, 1541/3625,1542/3626,1604,2069) नामांतरकरण सख्या 204 दिनांक 2.9.1998 से सबला की विरासत किसना के नाम दर्ज हुई। किसना द्वारा कुछ भूमियां तीजीदेवी और राधाकिशन आदि को विकय की गई थी। संवत 2041 की वर्किंग जमाबंदी के अनुसार खसरा नम्बर 1091 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि नामान्तरण संख्या 72 दिनांक 31.01.1996 खातेदार सबला वल्द मोती के नाम अंकित हुई है। नामान्तकरण संख्या 204 दिनांक 12.09.1998 के द्वारा खसरा नम्बर 1091 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा व 1085 मिन 7 बीघा 15 बिस्वा में सबला की विरासत किशना वल्द सबला के नाम दर्ज की गई है और नामान्तकरण संख्या 701 दिनांक 18.02.2006 से किशना पुत्र सबला द्वारा खसरा नम्बर 1085 मीन 7 बीघा 15 बिस्वा भूमि तीजी के नाम स्वीकृत की गई। नामान्तकरण संख्या 1331 दिनांक 03.12.2012 विक्रय से खसरा नम्बर 1091 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि किशन वल्द सबला के स्थान पर राधाकिशन वल्द रामचन्द्र प्रजापति के नाम दर्ज हुई।

अपील मिमो के अनुसार खसरा नम्बर 1085 मिन के नये नम्बर 1336, 1337, 7338 बने है तथा खसरा नम्बर 1091 के नये खसरा नम्बर 1344, 1345, 1352 बने है। पिता की मृत्यु के बाद विवादित भूमि पर अपने हिस्से की भूमि पर वह काबिज है

विवादित भूमियां निश्चित तौर पर पूर्व में सबला के नाम खातेदारी में दर्ज थी जो अपीलांट के पिता है। सबला की मृत्यु के बाद विरासत में सिर्फ किशना के नाम दर्ज कर दी गई जो अपील मिमो में अपीलांट का भाई बताया गया है। जिसके द्वारा भूमियां विक्रय कर दी गई है। न्यायालय का यह मानना की अपीलांट का भी विवादित भूमियों में हक व हिस्सा बनना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट का बनना पाया जाता हैं और स्थगन आदेश के अभाव में अपीलांट को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। स्थगन आदेश के अभाव में अपीलांट को विशद अनीष्ट होने की संभावना बनती है। विवादित भूमियों की रक्षा करना एवं वाद बाहुल्यता को रोकना न्यायालय का कर्त्तव्य है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा विवादित भूमियों बाबत अन्तरिम रूप से रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखा जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर निर्णित की जाती है तथा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है की वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 में उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए 60 दिवस में अंतिम रूप से निस्तारण करे तब तक उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम का अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जाएगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

ह० 8/2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner